सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 515/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 25 नवम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-दीदारगंज

थाना दीदारगंज पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालक की बरामदगी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

दिनाक 24.11.2020 को श्री जितेन्द्र पाण्डेय पुत्र जगदम्बा पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ ने थाना पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 24.10.2020 को सुबह बैटरी चोरी का बहाना बनाकर रमेश यादव,दिनेश यादव,सुरेश यादव पुत्रगण रामशकल यादव निवासीगण अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ द्वारा मेरे दरवाजे से मेंरे लड़के शिवम पाण्डेय को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गये। जिनके पीछे-पीछे मै भी वहा गया। ये सभी लोग मिलकर अपने दरवाजे पर मेरे लड़के को पेड़ में बाधकर गाली-गुप्ता,जान माल की धमकी देते हुए मारपीट रहे थे। मेरे द्वारा मना करने पर नही माने। उसी समय पीआरबी 1065 भी आ गयी। जिस पर तैनात कर्मचारीगण मेरे लडके को रस्सी से छोडने लगे कि 2-3 मीनट बाद फार्चून र गाडी नम्बर यूपी 62बीआर 5121 से टाईगर पुत्र स्व0 वीरेन्द्र यादव ग्राम चकगंज अलीशाह उर्फ सरावां थाना दीदागंज जनपद आजमगढ व उनके साथ पाँच-छः व्यक्ति नाम पता अज्ञात असलहे से लैस होकर आ गये तथा मेरे लड़के को जबरदस्ती फार्चूनर में बैठाकर ले जाने लगे जिनको पीआरवी 1065 के कर्मचारियो तथा मेरे द्वारा लडके को छोडने के लिए कहा गया लेकिन नही छोडे। थाना स्थानीय पर जितेन्द पाण्डेय एव पीआरवी 1065 के कर्मचारीगण की तहरीर पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 198/20 धारा 147,148,149,341,364,323,504,506 भादवि तथा मु0अ0सं0 199/20 धारा 147,148,149,353,504,506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित , ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर/लालगंज के कुशल निर्देशन मे प्र0उ0नि0 श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे उसी दौरान मुखबीर ने सूचना दिया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपह्त शिवम व अभियुक्त नहर रोड की तरफ आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर प्र0उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा वादी मुकदमा को बुलाकर तथा सभी हमराही कर्म0गण को अवगत करा ते हुये मय मुखबीर मय हमराहीयान के मंगरु मौर्य के घर के पास अपने आपको छिपते-छिपाते हुये तथा सरकारी वाहन आड़ में छिपाकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि कुछ ही देर मे टाईगर के घर के तरफ से दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिये कि दबिश देकर दोनो व्यक्तियो को पकड लिया वादी मुकदमा अपने पुत्र शिवम को पहचान गया गया । दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुरेश यादव पुत्र रामशकल सा0 अमरेथू थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ बताया। जिसे अपराध बोध कराकर तथा मु0अ0सं0198/20 धारा 147,148,149,341,364,323,504,506 भादविमु0अ0सं0 199/20 धारा 147,148,149,353,504,506 भादवि का बोध कराते हुए समय करीब 15.25 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अपह्त शिवम पाण्डेय को अवमुक्त कराया गया।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 198/20 धारा 147,148,149,341,364,323,504,506 भादवि
2. मु0अ0सं0 199/20 धारा 147,148,149,353,504,506 भादवि

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सुरेश पुत्र रामशकल निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।